



02-12-22 पत्रावली चेश/वादी स्वयं एवं वकील  
 वादी उपस्थित। एक सार्थक पत्र पेश कर  
 निवेदन किया कि पक्षकारान का आयस में  
 शामिल होने के कारण इस प्रकार से कोई  
 कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। इसलिए इस  
 वाद को सत्यापन के आदेश प्रदान करें। कारण  
 का संवकोकन किया गया। मन्त्र विभा  
 गया। सार्थक पत्र स्वीकार करने हुए यह वाद  
 फल इसी स्तर पर खरिज किया जाता है।  
 पत्रावली वाद तरीक वकील होकर प्रारिब  
 हफ्त हो।

बिशनारा  
 A-byoul  
  
 08/12/22

  
 (विद्यार्थकनियम)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 घड़साना